

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज मनोज कश्यप बनाम लो.सू.अ. ( तहसीलदार जोधपुर ) सू.अ.अ. अपील संख्या 74/2018	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20.06.18	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मनोज कश्यप पुत्र पुखराज निवासी चौधरी भवन, राजीव गांधी मूर्ति के सामने, सोजतीगेट के बाहर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 04.04.18 में उसके द्वारा (1) ग्राम झालामण्ड के खसरा नं. 123/2, तहसील व जिला जोधपुर की आज दिन तक की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार जोधपुर ) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष ( तहसीलदार जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष ( तहसीलदार जोधपुर ) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	